

राजस्थान सरकार  
वित्त विभाग  
(आय-व्ययक अनुभाग)

क्रमांक प.7(5)वित्त-1(1)आ.व्य./2017

जयपुर, दिनांक: 19 दिसम्बर, 2017

परिपत्र

विषय:- स्वीकृत बजट प्रावधानों का वित्तीय वर्ष में उपयोग करने एवं आधिक्य पर प्रभावी नियंत्रण रखे जाने के संबंध में।

इस विभाग द्वारा पूर्व में समय-समय पर परिपत्र जारी कर समस्त बजट नियंत्रण अधिकारियों से अनुरोध किया गया था कि वे प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए स्वीकृत बजट प्रावधानों के अनुसार ही राशि व्यय करें एवं अतिरिक्त व्यय पर प्रभावी नियंत्रण रखें।

चौदहवीं राजस्थान विधान सभा की जन लेखा समिति वर्ष 2017-2018 ने 204 वें प्रतिवेदन में सिफारिश की है कि बजट प्रावधान का वित्तीय वर्ष में ही उपयोग हो इसके लिए समय पर स्वीकृतियाँ जारी कराई जाकर स्वीकृति राशि का वित्तीय वर्ष के अन्दर ही उपयोग करने की सुदृढ़ व्यवस्था की जावे। बजट प्रावधानों में विभागीय बचत भी बजट की सकारात्मक उपलब्धता को प्रभावित करती है। अधिक बचत या आधिक्य अपरिहार्य कारणों के अतिरिक्त, वित्तीय नियमों में उचित नहीं कहा जा सकता है।

अतः विभाग द्वारा जारी पूर्व परिपत्रों की निरन्तरता में जनलेखा समिति द्वारा की गई सिफारिश की क्रियान्विति हेतु समस्त प्रशासनिक विभागों एवं बजट नियंत्रण अधिकारियों से पुनः अनुरोध है कि:-

- (i) स्वीकृत बजट प्रावधानों के अनुसार वित्तीय वर्ष में राशि के उपयोग हेतु समय पर स्वीकृति जारी करवाकर, स्वीकृत राशि का वित्तीय वर्ष के अन्दर ही उपयोग करने एवं आधिक्य पर प्रभावी नियंत्रण रखे जाने की सुदृढ़ व्यवस्था की जावे,
- (ii) अनावश्यक बजट प्रावधान प्रस्तावित नहीं किए जावे जिससे बचत की स्थिति उत्पन्न नहीं हो, एवं
- (iii) प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए आवश्यकतानुसार अनुपूरक मांगों के प्रस्ताव निर्धारित समयावधि में वित्त विभाग को भिजवाया जाना सुनिश्चित किया जावे।

इसके साथ ही बजट नियमावली के प्रावधानों की कठोरता से पूर्ण पालना सुनिश्चित की जावे।



(डी. बी. गुप्ता)


अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है :-

1. सचिव, माननीय राज्यपाल, राजस्थान।
2. सचिव, मुख्यमंत्री, राजस्थान।
3. विशिष्ट सहायक/निजी सचिव, समस्त मंत्रीगण/राज्य मंत्रीगण, राजस्थान।
4. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ट शासन सचिव।
5. प्रधान महालेखाकार (सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र लेखापरीक्षा/लेखा एवं हक/आर्थिक एवं राजस्व क्षेत्र लेखापरीक्षा) राजस्थान, जयपुर।
6. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान।
7. समस्त विभागाध्यक्ष (जिला कलक्टर सहित), राजस्थान।
8. समस्त संयुक्त शासन सचिव/उप शासन सचिव, वित्त विभाग।
9. सचिवालय के समस्त अनुभाग।
10. प्रशासनिक सुधार (कोडिफिकेशन) विभाग को सात अतिरिक्त प्रतियों सहित।
11. अतिरिक्त निदेशक (कम्प्यूटर सैल), वित्त विभाग।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को भी प्रेषित है:-

1. सचिव, राजस्थान विधान सभा, जयपुर को उनके पत्र क्रमांक एफ.9(97)/विस/जलेस/सिविल /2017/43211 दिनांक 28.11.2017 के क्रम में सूचनार्थ।
2. रजिस्ट्रार जनरल, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर।
3. सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, राजस्थान, जयपुर।
4. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।

  
(शरद मेहरा)

निदेशक, वित्त (बजट)

[ 9/2017 ]